



Neutral Citation No. - 2026:AHC:125702

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

बीएनएसएस की धारा 528 के अंतर्गत आवेदन संख्या - 21216 वर्ष 2026

दीपक सिंह पटेल और एक अन्य

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य

.....प्रतिपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता	:	दिलीप कुमार, पंकज श्रीवास्तव
प्रतिपक्षी(गण) के अधिवक्ता	:	शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 34

माननीय न्यायमूर्ति चवन प्रकाश,

1. आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता श्री दिलीप कुमार और राज्य के लिए विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना और अभिलेख का परिशीलन किया।
2. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 528 के अंतर्गत यह आवेदन आवेदकों द्वारा निम्नलिखित प्रार्थना के साथ दायर किया गया है:

“अतः अत्यंत विनम्रतापूर्वक निवेदन है कि यह माननीय न्यायालय इस आवेदन को स्वीकार करे और वाद संख्या 142 वर्ष 2025, मामला अपराध संख्या 670 वर्ष 2023, अंतर्गत धारा 452, 323, 504, 506, 427 भारतीय दंड संहिता, पुलिस स्टेशन सोरांव, जिला प्रयागराज की संपूर्ण आपराधिक कार्यवाही को न्याय के हित में रद्द करने की कृपा करे, जो न्यायालय, विद्वान अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, न्यायालय संख्या 9 प्रयागराज के समक्ष लंबित है।

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



इसके अलावा यह भी प्रार्थना की जाती है कि वाद संख्या 142 वर्ष 2025 में मामला अपराध संख्या 670 वर्ष 2023, अंतर्गत धारा 452, 323, 504, 506, 427 भारतीय दंड संहिता, पुलिस स्टेशन सोरांव, जिला प्रयागराज में आरोप-पत्र दिनांक 26.12.2023 और साथ ही समन आदेश दिनांक 29.04.2025 को न्याय के हित में रद्द किया जाए, जो न्यायालय, विद्वान अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, न्यायालय संख्या 9, प्रयागराज के समक्ष लंबित है।"

3. आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आवेदक निर्दोष हैं और उन्हें इस मामले में झूठा फंसाया गया है। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि इससे पहले आवेदक संख्या 2 ने प्रतिपक्षी संख्या 2 और परिवार के अन्य सदस्यों के विरुद्ध 25.11.2023 की घटना के संबंध में भारतीय दंड संहिता की धारा 323, 354, 354बी, 504, 506, 427 और 452 के अंतर्गत मामला अपराध संख्या 669 वर्ष 2023 के रूप में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें दोनों आवेदकों को चोटें आई थीं और उनकी चिकित्सकीय जांच की गई थी। इसके बाद, जवाबी कार्रवाई के रूप में, प्रतिपक्षी संख्या 2 ने दिनांक 25.11.2023 की घटना के संबंध में धारा 147, 452, 323, 504, 506 और 427 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत मामला अपराध संख्या 670 वर्ष 2023 के रूप में वर्तमान प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई है। उन्होंने आगे निवेदन किया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार, घायल को अभियुक्तों और तीन अज्ञात व्यक्तियों द्वारा पीटा गया था, जबकि घायल राम सुचित पटेल की चिकित्सा रिपोर्ट के अनुसार, उनके शरीर पर कोई बाहरी चोट नहीं पाई गई, जिससे पता चलता है कि एक मनगढ़ंत कहानी बनाई गई है। उन्होंने आगे निवेदन किया कि अन्वेषण अधिकारी ने निष्पक्ष और उचित अन्वेषण नहीं की है और अभियुक्तों के विरुद्ध आरोपपत्र दाखिल किया तथा विद्वान मजिस्ट्रेट ने 29.04.2025 को संज्ञान लिया, जबकि अभियुक्तों के विरुद्ध प्रथम दृष्टया कोई मामला नहीं बनता है, इसलिए समन/संज्ञान आदेश के साथ-साथ उपरोक्त मामले की संपूर्ण कार्यवाही को रद्द किया जाए।

4. इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों, प्रतिपक्षी संख्या 2/घायल और साक्षियों के अभिकथनों और अन्वेषण के दौरान एकत्र की गई सामग्री के परिशीलन से, प्रथम दृष्टया आवेदकों के विरुद्ध अपराध स्पष्ट रूप से बनता है और इस प्रकार, पूरी कार्यवाही को रद्द नहीं किया जा सकता है।

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



5. अभिलेख के अनुसार, प्रतिपक्षी संख्या 2 ने दिनांक 25.11.2023 की घटना के संबंध में आवेदकों और तीन अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 452, 323, 504, 506 और 427 के अंतर्गत मामला अपराध संख्या 670 वर्ष 2023 के रूप में यह प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई है। घायल/प्रतिपक्षी संख्या 2 की चिकित्सा जांच प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सोरांव, जिला प्रयागराज में की गई, जहां उसके शरीर पर कोई बाहरी चोट नहीं पाई गई, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट में छाती पर खरोंच के निशान पाए गए। अन्वेषण अधिकारी ने अन्वेषण पूर्ण होने के बाद आवेदकों के विरुद्ध आरोप-पत्र दाखिल किया और विद्वान मजिस्ट्रेट ने दिनांक 29.04.2025 को संज्ञान लिया है।

6. अभिलेख में मौजूद सामग्री का परिशीलन करने और मामले के तथ्यों को देखते हुए, इस स्तर पर यह नहीं कहा जा सकता कि आवेदक के विरुद्ध कोई अपराध नहीं बनता है। न्यायालय में प्रस्तुत सभी दलीलें विवादित तथ्य के प्रश्न से संबंधित हैं, जिन पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 528 के अंतर्गत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए इस न्यायालय द्वारा न्यायनिर्णयन नहीं किया जा सकता है। इस स्तर पर केवल प्रथम दृष्टया मामले को ही सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आर.पी. कपूर बनाम पंजाब राज्य, ए.आई.आर. 1960 एससी 866, हरियाणा राज्य बनाम भजन लाल, 1992 एससीसी (क्रिमिनल) 426, बिहार राज्य बनाम पी.पी. शर्मा, 1992 एससीसी (क्रिमिनल) 192 और अंत में इंडू फार्मास्युटिकल वर्क्स लिमिटेड बनाम मोहम्मद सराफुल हक और अन्य (प्रस्तर-10) 2005 एससीसी (क्रिमिनल) 283 के मामलों में निर्धारित किए गए कानून के आलोक में देखा जाना है। इस स्तर पर अभियुक्त के विवादित बचाव पर विचार नहीं किया जा सकता है।

7. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, उपर्युक्त मामले को रद्द करने का कोई आधार मुझे नहीं मिलता है, इसलिए, इसे रद्द करने की प्रार्थना को एतद्वारा अस्वीकार किया जाता है।

8. तदनुसार, आवेदन खारिज किया जाता है।

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(न्यायमूर्ति चवन प्रकाश)

5 जून, 2026

विजय

Translated Version. Not For Legal Use.

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।